

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225813
SG-DL-E-11032021-225813

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 360
No. 88]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942	[N. C. T. D. No. 360

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मार्च, 2021

सं.फा. 8/272/2020/गृ०पु०-II/617-632.—मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतद् द्वारा गृह विभाग/इस कार्यालय के अभियोजन निदेशालय द्वारा दिये गये स्थानान्तरण अथवा तैनाती आदेशों के अनुसरण में नामित न्यायालय अथवा विशेष न्यायालयों, जैसी भी स्थिति हो, के अतिरिक्त अभियोजक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत ऐसे न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों के निपटान के लिये दिल्ली के प्रत्येक जिले/नामित न्यायालयों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-01 के न्यायालय के साथ नियुक्त अभियोजन निदेशालय के प्रत्येक अतिरिक्त लोक अभियोजक को प्रदत्त की जाती हैं।

यह माननीय मंत्री (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 8th March, 2021

F. No. 8/272/2020/HP-II/617-632.—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the powers of Special Public Prosecutor under Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993 is hereby conferred upon the each of the Additional Public Prosecutor of Directorate of Prosecution, attached with court of Additional Sessions Judge-01, in the each district of Delhi/Designated Courts to deal with such cases pending in such Courts under the Protection of Human Rights Act, 1993 with effect from the date of assuming the charge of the post of Additional Prosecutor of the designated Court or Special Courts, as case may be, in pursuance of the transfer or posting orders made by the Home Department / Directorate of Prosecution of this office.

This issues with the approval of Hon'ble Minister (Home), GNCT of Delhi.

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home)